

विधान सभा तारांकित प्रश्न प्रमाण 1502 की पाठ्यपत्र  
संख्या 2017

मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
आदेश

परिशिष्ट - 1

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी, 2017  
क्रमांक 568/3431/2016/10-2 राज्य शासन, एतद द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 12(b) के अंतर्गत मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक मध्यप्रदेश के प्रस्ताव अनुसार फसल हानि करने वाली 1000 नीलगायों को बोमा विधि से पकड़कर आच्छादित वन क्षेत्र में छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम  
से तथा आदेशानुसार

20/2/17  
04/2/17  
(एन.पी.अहिरवार)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी, 2017

प. क्रमांक 569/3431/2016/10-2  
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. गार्ड फाईल।

20/2/17  
04/2/17  
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

26/2/17  
अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन,  
वन विभाग (शाखा-2)  
मंत्रालय, भोपाल